प्रेस नोट संख्या- 13

दिनांक 05.06.2025

सराहनीय कार्य अमेठी पुलिस

थाना संग्रामपुर पुलिस द्वारा 24 घण्टे के अन्दर हत्या का खुलासा, हत्या में शामिल 01 नफर अभियुक्ता गिरफ्तार।

घटना का संक्षिप्त विवरणः- दिनांक 04.06.2025 को यूपी 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी अन्तर्गत ग्राम पूरे रामा चौहान पुन्नपुर में एक व्यक्ति का शव पड़ा है। उक्त सूचना पर थाना संग्रामपुर पुलिस व फील्ट यूनिट की टीम द्वारा मौके पर पहुंच कर शव को कब्जे में लिया गया तथा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की गयी। मृतक के गले पर चोट के निशान पाये गये। मृतक की पहचान सागर कोरी पुत्र सिद्धार्थ उम्र लगभग 22 वर्ष निवासी ग्राम पूरे रामा चौहान पुन्नपुर थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी के रूप में हुई। बाद पंचायतनामा कार्यवाही शव को पोस्टमॉर्टम हेतु भेजा गया। मृतक सागर कोरी के चाचा श्री विनोद कुमार पुत्र लहुरी निवासी उपरोक्त की तहरीर पर थाना संग्रामपुर पर मु0अ0सं0 118/25 धारा 103(1) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था। **पुलिस अधीक्षक अमेठी द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर घटना के शीघ्र अनावरण व अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु संबंधित को आवश्यक आदेश/निर्देश दिये गये थे।**

पुलिस अधीक्षक अमेठी श्रीमती अपर्णा रजत कौशिक के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक अमेठी श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में जनपद अमेठी में अपराध एवं अपराधियों के धर पकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 05.06.2025 को क्षेत्राधिकारी अमेठी श्री मनोज कुमार मिश्र के कुशल नेतृत्व में थाना संग्रामपुर पुलिस द्वारा महत्वपूर्ण व लाभप्रद जानकारी संकलित करते हुए प्रकाश में आयी 01 नफर अभियुक्ता कुमकुम पुत्री बाँकेलाल कोरी निवासी ग्राम पूरे रामा चौहान मजरे पुन्नपुर थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी उम्र करीब 20 वर्ष को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की गयी तो अभियुक्ता ने बताया कि उसका और उसके जीजा के साथ में मृतक ने वीडियो बना लिया था और उसी को लेकर वह अभियुक्ता के साथ शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बना रहा था। इसी क्रम में घटना वाली रात को वह छत के रास्ते से अभियुक्ता के घर आया। अभियुक्ता ने पूर्व से ही अपने जीजा को बुलाकर पर्दे के पीछे छिपा रखा था। सागर (मृतक) के आते ही जैसे सागर पास में आया वैसे ही उसके जीजा बेद प्रकाश कोरी ने पीछे से उसके सिर पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया जिससे वह गिर गया। दोनों ने उसका मुंह दबा दिया जिससे आवाज न निकले। फिर उसके जीजा ने कुल्हाड़ी से गले पर वार कर दिया, जब वह मर गया तो घर में रखी पन्नी से उसका सिर तथा गर्दन बांध दिये और उसके हाथ-पैर रस्सी से बांध कर उसे ले जाकर पास में स्थित सरिया (पशुशाला) में छिपा कर चले आये थे। रात में ही उसके जीजा कुल्हाड़ी लेकर छिपाने के लिये चले गये थे। घर में जहां पर खून गिरा था अभियुक्ता द्वारा उस जगह को रात में ही गोबर से लीप

दिया गया था । थाना संग्रामपुर पुलिस द्वारा अभियुक्ता कुमकुम को गिरफ्तार किया गया तथा मुकदमा उपरोक्त में धारा 238 बीएनएस की बढोत्तरी कर विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम व पता –

- कुमकुम पुत्री बाँकेलाल कोरी निवासी ग्राम पूरे रामा चौहान मजरे पुन्नपुर थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी उम्र करीब 20 वर्ष ।

वांछित अभियुक्त का नाम पता-

- बेद प्रकाश कोरी पुत्र मेवालाल कोरी निवासी ग्राम टिकरिया पतापुर थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी ।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0 118/25 धारा 103(1), 238 बीएनएस थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी ।

गिरफ्तार करने वाली टीम –

1. प्रभारी निरीक्षक श्री बृजेश सिंह थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी ।
2. उ0नि0 रामप्रकाश यादव थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी ।
3. का0 दीपचन्द यादव थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी ।
4. म0का0 प्रीति कुशवाहा थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी ।